

प्लॉट नं० - 1507/1.469
परगना - मोहनलालगंज
ग्राम - गौरा
खंड - 1507/1.469

प्लॉट नं० को 1507-1 विभागा के विभागा - विभागा नं० को 1507-1 का अंश का विभागा	
श्री विवेकानंद प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहीत एवं सार्वजनिक उपयोग द्वारा ब्यवसाय प्रयोजन किए गए प्लॉट	
प्लॉट नं० - 1507/1.469	प्लॉट नं० - 1507/1.469

विक्रय मूल्य -
मालियत -
रुग्म -
दर - 5,000/-रुपया प्रति वर्ग मी०
मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र
कोड सं०-46

लेखपत्र का विवरण- [विक्रय-पत्र]

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1-सम्पत्ति का प्रकार | आवासीय भूमि |
| 2-परगना | मोहनलालगंज |
| 3-ग्राम | गौरा |
| 4-विक्रीत गाटा संख्या | 1507/1.469 हे० के बकदर भाग विक्रेता के अंश में से प्लॉट सं० प्रत्येक प्लॉट पैमाइशी वर्ग फिट दोनो प्लॉटों का कुल क्षेत्रफल वर्ग फिट अर्थात वर्ग मीटर |
| 5-विक्रीत कुल क्षेत्रफल | 185.873 वर्ग मीटर |
| 6-लखनऊ-रायबरेली [सड़क] से दूरी | 200मी० से अधिक |
| 7-प्रतिफल की धनराशि | |

चौहद्दी प्लाट सं०

पूरब - प्लाट सं० बी
पश्चिम - रास्ता फिट
उत्तर - प्लाट सं०
दक्षिण - प्लाट सं०

प्रथम पक्ष की सं०-1 विक्रेता का विवरण	द्वितीय पक्ष की सं० 1 क्रेता का विवरण
रेस बिल्डकान प्रा०लि० कार्यालय पता साई टावर रायबरेली रोड, उत्तरविया लखनऊ द्वारा डायरेक्टर रन्दीप सिंह पुत्र मुखदेव सिंह	
मो० नं०-	मो० नं०
पैन नं०-AAFCR 5600R	पैन नं०

भूमि खसरा सं० -रकबा उपरोक्त स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ की है जिसका प्रथम पक्ष/विक्रेता मालिक काबिज है, विक्रय की जाने वाली भूमि न्यायालय असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी मोहनलालगंज लखनऊ द्वारा धारा 80 उपरोक्त सं० 2006 के अन्तर्गत वाद सं० 201910460303405 दिनों 12-3-2019 को अकृतिक घोषित की जा चुकी है एवं कार्यालय जिला पंचायत लखनऊ द्वारा पत्रांक सं० 195 दिनांक 13-02-2019 के माध्यम से विक्रय की जाने वाली खसरा सं० 1507 से सम्बन्धित मानचित्र को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो आज तक हर प्रकार के विवादो, भारो, रेहन, बन्धक, इकरार, कुर्की, जमानत, हिबा आदि से पूर्णतया बरी व पाक साफ है जिसको विक्रय करने का पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष/विक्रेता को प्राप्त है। अतः प्रथम पक्ष/विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के बजरूरत होशो हवास में उपरोक्त भूमि को द्वितीय पक्ष/क्रेता के हक में विक्रय कर सम्पूर्ण धनराशि प्रथम पक्ष/विक्रेता ने द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त से प्राप्त कर कब्जा व दखल मालिकाना अपने समान प्रथम पक्ष/विक्रेता ने द्वितीय पक्ष/क्रेता को करा दिया। आज की तारीख के बाद से प्रथम पक्ष/विक्रेता या उनके किसी वारिसान कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा व दावा उक्त विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार से बाकी नहीं रहा अगर कोई व्यक्ति विक्रीत भूमि या उसके विक्रय मूल्य के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त से अपना हक जतावे या दावा करे तो दावा उसका इस बयनामा के समक्ष बिल्कुल नाजायज व शून्य होगा, और अगर किसी व्यक्ति की दावेदारी या उज्रदारी या हकदारी से विक्रीत भूमि का कुल या जुज भाग द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के कब्जे से किसी भी समय निकल जाये या कब्जा न मिले, मिलिकयत या हकीयत प्रथम पक्ष/विक्रेता की करार न पायी जाय या अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त भूमि के कागजात विवादित अथवा भार ग्रसित निकले तो ऐसी तमाम सूरतो में द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त को हक व अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा दिया गया कुल

रूपया मय हर्जा खर्चा व नुकसान सहित प्रथम पक्ष/विक्रेता व उनके वारिसान व कायम मुकाम की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवै, प्रथम पक्ष/विक्रेता उपरोक्त को कोई मुकाम उज्र का न होगा, अब आज की तारीख से द्वितीय पक्ष/क्रेता को अधिकार होगा कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम कराये प्रथम पक्ष/विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी। विक्रीत भूमि स्थित ग्राम गौरा परगना व तहसील मोहनलालगंज जिला लखनऊ।

विक्रय शुदा प्लाट का विवरण	प्रति वर्ग मीटर	कुल मूल्यांकन
गाटा सं० 1507/1.469 ह० के बकदर भाग विक्रेता के अंश मे से प्लाट सं० प्रत्येक प्लाट पैमाइशी वर्ग फिट दोनो प्लाटों का कुल क्षेत्रफल 00) वर्ग फिट अर्थात वर्ग मीटर	5,000/-	/-

भुगतान का विवरण

नेपट	दिनांक	धनराशि	बैंक
{1}	विक्रय किए गये प्लाट की सम्पूर्ण मालियत मे से 10 लाख पर स्टाम्प निश्चित दर से नियमानुसार महिला छूट के अन्तर्गत शेष मालियत पर सामान्य दर से दिया गया है।		
{2}	विक्रय की गई भूमि मूल्यांकन सूची के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत है राष्ट्रीय मार्ग/जनपदीय मार्ग के किनारे नहीं है। पक्षकार से पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त है फोटो गवाहान की शिनाखा पर प्रमाणित है पक्षकार द्वारा बताये गये तथ्यों व उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विक्रय-पत्र तैयार किया गया किसी भी त्रुटि के लिए पक्षकार स्वयं जिम्मेदार है, टाईप कर्ता व मसविदा कर्ता की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है। विक्रय किया गया प्लाट विक्रेता की क्रय शुदा सम्पत्ति है, राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम अंकित है सम्बन्धित दस्तावेज उप निबन्धक कार्यालय मोहनलालगंज जिला लखनऊ में निम्न विवरण पर अंकित है।		

दिनांक	बही सं०	जिल्द सं०	पृष्ठ सं०	क्रमांक
17-09-2018	01	9579	1/48	17333

अतएव यह विक्रय-पत्र स्वस्थ दशा मे बिना किसी जोर दबाव या नाजायज आग्रह के पूर्ण होशो हवास में लिख दिया कि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

दिनांक -2019

प्रथम पक्ष/विक्रेता

गवाहान(1)

(2)

द्वितीय पक्ष/क्रेता

टाईप कर्ता

मसविदाकर्ता,